


Government of NCT of Delhi
Department for the Welfare of SC/ST/OBC/MIN.
B-Block, 2nd Floor, Vikas Bhawan, I.P. Estate, New Delhi
Website: scst.welfare.delhigovt.nic.in Tele Fax No.23379513

F. No. 8(2)/2008-09/DSCST/SCP/ 21779

Dated: 25/3/14

To

1. The Divisional Commissioner,
Revenue Department,
5, Sham Nath Marg,
Delhi -110054.
2. The Secretary (Services),
7th Level, B-Wing,
Delhi Secretariat, I P Estate,
New Delhi -110002.
3. The Chairman (DSSSB),
Delhi Subordinate Services Selection Board (DSSSB)
FC-18, INSTITUTIONAL AREA,
KARKARDOOMA,
DELHI-110092.
4. The Member Secretary,
Commission for Other Backward Classes,
5th Floor, Vikas Minar,
I P Estate, New Delhi -110002.



WDC (REV)
Supdt. (CCS)
SA -
for in upgradation
2

Sub: Forwarding the copy of Notification.

Sir,

I am directed to enclose herewith a copy of the Notification No. 20012/129/209-BC-II dated 04-03-2014 received from Deputy Secretary, Ministry of Social Justice & Empowerment, Government of India issued on 12-02-2014 regarding the inclusion of "Jat Community" in the **Central List of Other Backward Classes (OBCs)** in respect of NCT of Delhi for your information and necessary action at your end.

It is, therefore, requested that the said Notification may be circulated in all 11 Deputy Commissioner Office for issue of Caste Certificate.

Yours faithfully

K.P. Rangari
24/3/14

(K. P. Rangari)
Dy. Director (SCP)


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 63]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 4, 2014/फाल्गुन 13, 1935

No. 63]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 4, 2014/PHALGUNA 13, 1935

सामाजिक, न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2014

फा. सं. 20012/129/2009-बीसी-2.—26 राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के संबंध में, मंडल आयोग की रिपोर्ट में की सूचियों और राज्य सरकारों की सूचियों, दोनों को सम्मिलित जातियों और समुदायों को समाविष्ट करने वाली अन्य पिछड़े वर्गों की समान केन्द्रीय सूची उपाबंध-1 में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार कल्याण मंत्रालय के संकल्पों द्वारा अधिसूचित किया गया था;

और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 (1993 का 27) की धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (जिसे इसमें इसके पश्चात् आयोग कहा गया है) को नागरिकों के किसी वर्ग को सूचियों में पिछड़े वर्ग के रूप में सम्मिलित करने संबंधी अनुरोधों की समीक्षा करने तथा ऐसी सूचियों में किसी पिछड़े वर्ग के अति समावेशन या अल्प समावेशन की शिकायतों के संबंध में सुनवाई करने और केन्द्रीय सरकार को ऐसी सलाह देने जिसे वह उपयुक्त समझे, के लिए अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन सशक्त किया गया है;

और उक्त समान केन्द्रीय सूची को आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित किया गया है और उपाबंध-2 में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार संकल्पों के द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया गया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 2 के खंड (ग) के साथ पठित खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिशिष्ट में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार पूर्वोक्त राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के संबंध में अन्य पिछड़े वर्गों की उक्त समान केन्द्रीय सूचियों के संशोधनों को अधिसूचित करती है, जो इस संकल्प के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे ।

परिशिष्ट

भाग - क

निम्नलिखित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल करना/संशोधन करना :

1. बिहार
2. गुजरात
3. हरियाणा
4. हिमाचल प्रदेश
5. मध्य प्रदेश
6. राजस्थान
7. उत्तराखंड
8. उत्तर प्रदेश
9. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

भाग - ख

राज्य-वार अन्य पिछड़ा वर्ग की केन्द्रीयसूची में संशोधन

(i) बिहार

विद्यमान प्रविष्टि	नई प्रविष्टि
134. शून्य	134. जाट

(ii) गुजरात

विद्यमान प्रविष्टि	नई प्रविष्टि
28. जाट (मुस्लिम)	28. जाट (मुस्लिम), जाट

(iii) हरियाणा

विद्यमान प्रविष्टि	नई प्रविष्टि
75. शून्य	75. जाट

(iv) हिमाचल प्रदेश

विद्यमान प्रविष्टि	नई प्रविष्टि
55. शून्य	55. जाट

(v) मध्य प्रदेश

विद्यमान प्रविष्टि	नई प्रविष्टि
67. शून्य	67. जाट

(vi) राजस्थान

विद्यमान प्रविष्टि	संशोधित प्रविष्टि
58. जाट (धौलपुर और भरतपुर के अतिरिक्त)	58. जाट

(vii) उत्तराखंड

विद्यमान प्रविष्टि	नई प्रविष्टि
79. शून्य	79. जाट

(viii) उत्तर प्रदेश

विद्यमान प्रविष्टि	नई प्रविष्टि
77. शून्य	77. जाट

(ix) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

विद्यमान प्रविष्टि	नई प्रविष्टि
58. शून्य	58. जाट

अनुबंध-I

क्रम सं.	संकल्प सं.	अधिसूचना की तारीख	संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
1.	सं.12011/68/93-बीसीसी(सी)	13.09.93	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश
2.	सं.12011/9/94-बीसीसी	20.10.94	उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, दादरा और नागर हवेली, दमन एवं दीव और पुडुचेरी
3.	सं.12011/7/95-बीसीसी	25.05.95	जम्मू व कश्मीर, मणिपुर, सिक्किम और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
4.	सं.12011/99/94-बीसीसी	12.12.97	चंडीगढ़

अनुबंध- II

क्रम सं.	संकल्प सं.	अधिसूचना की तारीख	संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
1.	सं.12011/02/96-बीसीसी	29.01.96	असम
2.	सं.12011/96/94-बीसीसी	11.03.96	आंध्र प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल
3.	सं.12011/44/96-बीसीसी	11.12.96	बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल
4.	सं.12011/13/97-बीसीसी	17.12.97	उत्तर प्रदेश
5.	सं.12011/68/98-बीसीसी	27.10.99	आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल
6.	सं.12011/88/98-बीसीसी	06.12.99	आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, बिहार, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल

7.	सं.12011/36/99-बीसीसी	04.04.2000	आंध्र प्रदेश, बिहार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पुडुचेरी, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल
8.	सं.12011/44/99-बीसीसी	21.09.2000	आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल
9.	सं.12011/09/ 2000-बीसीसी	06.09.2001	आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल
10.	सं.12011/01/ 2001-बीसीसी	20.06.2003	आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल
11.	सं.12011/04/ 2002-बीसीसी	13.01.2004	आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश
12.	सं.12011/09/ 2004-बीसीसी	17.01.2006	आंध्र प्रदेश, बिहार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पुडुचेरी और उत्तर प्रदेश
13.	सं.12011/14/ 2004-बीसीसी	12.03.2007	दमन एवं दीव, अंडमान एवं निकोबार, उत्तराखंड, पुडुचेरी, त्रिपुरा, कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र
14.	सं.12011/16/ 07-बीसीसी	12.10.2007	पंजाब और उड़ीसा
15.	सं.12018/ 06/ 05-बीसीसी	30.07.2010	बिहार
16.	सं.12015/ 02/ 07-बीसीसी	18.08.2010	छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान और दमन एवं दीव
17.	सं.12015/ 15/ 08-बीसीसी	16.06.2011	आंध्र प्रदेश, बिहार, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और पुडुचेरी
18.	सं.12015/ 13/ 2010-बीसीसी-2	08.12.2011	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं पुडुचेरी

19.	सं.12015/ 5/ 2011- बीसी-2	17.02.2014	आंध्र प्रदेश, बिहार, गोवा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, पुडुचेरी और चंडीगढ़
-----	------------------------------	------------	--

गजाला मीनाई, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

RESOLUTION

New Delhi, the 4th March, 2014

F. No. 20012/129/2009-BC-II.—Whereas the Common Central List of Other Backward Classes comprising castes and communities included in both the lists in the report of the Mandal Commission and the Lists of the State Governments were notified in respect of 26 States and Union Territories *vide* Resolutions by the Ministry of Welfare as specified in **Annexure-I**;

And whereas, the National Commission for Backward Classes (hereinafter referred to as the Commission) constituted under section 3 of the National Commission for Backward Classes Act, 1993 (27 of 1993) has been empowered under sub-section (1) of section 9 of the Act to examine requests for inclusion of any class of citizens as backward class in the lists and hear complaints of over-inclusion or under-inclusion of any backward class in such lists and tender such advice to the Central Government as it deems appropriate;

And whereas, the said Common Central List has been amended, on the recommendations of the Commission, and notified from time to time by the Central Government *vide* Resolutions as specified in **Annexure-II**;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (a) read with clause (c) of section 2 of the said Act, hereby notifies the amendments to the said Common Central Lists of Other Backward Classes in respect of the aforesaid States and Union Territories, as specified in the **Appendix**, which shall take effect from the date of publication of this Resolution in the Official Gazette:—

APPENDIX

PART-A

LIST OF STATES AND UNION TERRITORIES IN RESPECT OF WHICH AMENDMENTS IN THE CENTRAL LIST OF OTHER BACKWARD CLASSES ARE BEING NOTIFIED

1. Bihar
2. Gujarat
3. Haryana
4. Himachal Pradesh
5. Madhya Pradesh
6. Rajasthan
7. Uttarakhand
8. Uttar Pradesh
9. National Capital Territory of Delhi

PART-B

STATE-WISE MODIFICATIONS IN THE CENTRAL LIST OF OTHER BACKWARD CLASSES

(i)	Bihar		
	Existing Entry		New Entry
	134. Nil		134. Jat
(ii)	Gujarat		
	Existing Entry		Modified Entry
	28. Jat (Muslim)		28. Jat (Muslim), Jat
(iii)	Haryana		
	Existing Entry		New Entry
	75. Nil		75. Jat

981 20114-2

66

REMINDER-II

Government of NCT of Delhi
Department for the Welfare of SC/ST/OBC/MIN.
B-Block, 2nd Floor, Vikas Bhawan, I.P. Estate, New Delhi
Website: scstwelfare.delhigovt.nic.in Tele Fax No.23379513

F No 44(1)/2013-14/DSCST/

Dated:

To,

The Dy. Secy.
Commission For Other Backward Classes
5th Floor, Vikas Minar,
New Delhi


Subject: Draft Govt. Order For Issuance of Caste (OBC) Certificate.

Sir,

Please refer to this office letter of even no. dated 18.2.2014 on the subject cited above. In this regard, it is to inform that information submitted vide your office letter number F.2(11)/BCC/2013/1853 dated 29.01.2014 were incomplete.

Since the matter is important, it is requested that the pending comments on the subject matter may also be provided to this deptt. at the earliest, so that the same could be forwarded to the Revenue Deptt for taking necessary action.

Yours faithfully,



(K.P. RANGARI)
Dy. Director (SCP)

F No 44(1)/2013-14/DSCST/21878

Dated: 26/3/14

Copy to:-

✓ 1. The Divisional Commissioner; Revenue Deptt. 5 Sham Nath Marg, New Delhi-


(K.P. RANGARI)
Dy. Director (SCP)